Special Issue : 1.4
January 2023
Vol. : IX

Interdisciplinary Peer Reviewed
Journal For Innovative Research
And Evaluation

Loknayak

ISSN (L) 2278 - 4284

Indian Knowledge System : Concept, Scope and Criticism

Interdisciplinary Peer Reviewed
Journal For Innovative Research
And Evaluation

Loknayak

ISSN (L) 2278 - 4284

Special Issue : 1.4
January 2023
Vol. : IX

Copyright © By Loknayak Bapuji Aney Mahila Mahavidyalaya, Yavatmal

No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of publishers. This edition can be exported from India only by the Publishers.

Interdisciplinary Peer Reviewed
Journal For Innovative Research
And Evaluation

Loknayak

ISSN (L) 2278 - 4284

Volume : IX

Special Issue : 1.4 January 2023

Published by : Loknayak Bapuji Aney Mahila Mahavidyalaya, Yavatmal

Visit us : http://www.aneymahila.com

Contact us : loknayak@aneymahila.com
loknayakpublication@gmail.com
M - 9911771811

Interdisciplinary Peer Reviewed
Journal For Innovative Research
And Evaluation

Loknayak

ISSN (L) 2278 - 4284

Research / review articles submitted to journals will be considered for publication. The concerning author/s have to submit an original work. Corresponding author/s will be responsible for the Research work during the processing of manuscript. Editorial Board will immediately reject Research work leading to Plagiarism. Manuscripts submitted 'Loknayak' will be screened for plagiarism using appropriate tool.

- We only accept text files or files in .doc or .docx format (Microsoft Word or Open Office) in English, Marathi or Hindi language only. (Font size 13, Line Spacing 1.5, Times New Roman/Kruti dev/Mangal).
- Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and it is unacceptable.
- Research work must follow conventions of the language (Hindi, English or Marathi) in regard to proper grammar, punctuation, and typical writing practices.
- All factual statements must be supported by cited sources or research evidence. Authors must ensure the accuracy of citations, quotations, diagrams, tables, and maps. All in-text citations must be cited in the reference list and all sources in the reference list must be cited within the Research work. Sources accessed online must include a DOI (Digital Object Identifier) or URL.
- Research work submissions should include an updated abstract and set of keywords.
- Please follow the citation guidelines of MLA (Languages) and APA (Social Sciences).
- **The manuscript should have following sections :**
- Title Keywords
  - Name of the author/s
  - Abstract
  - Introduction
  - Main Body (Method, Results, Discussion)
  - Conclusion References
- All the authors of the manuscript should be agreed for the publication of the manuscript and there should not be any dispute about the proposed content or material of the manuscript with any person and among the authors.
- The Editors and Reviewers of the Journal are fully authorized to give the rejection, modification, and acceptance of the manuscript to the author, based on the quality of the research manuscript or proposed work

Publication Charges

- The authors should note that there is no submission charges; however, there is a reasonable publication charges for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office - cum - admin expenses, printing and shipping of the print copy and other recurring expenses.

- The publication charges is obligatory for publication. The figure in braces suggests publication fees, peer review remuneration and plagiarism check charges. Except publication charges, other charges are non- refundable in case of rejection of the articles/papers by the board and committee.

- #Indian Authors : Publication charges for per accepted paper
  1100 (700+300+100).
  400 (non-refundable, in case of rejection of the paper.)

- #Foreign Authors: Publication charges for per accepted paper is $30.

- Print copy: No extra charges for Print Copy of the issue in which the article is published. It will be sent on the given address. (Except foreign authors, They need to pay shipping charges.)

- The formality of signed copyright form by the author(s) is a precondition to publish the paper in the journal. For that, our admin will send you a letter on your e-mail after the acceptance of research paper.

For Submitting Research Paper
loknayakpublication@gmail.com

For Queries and Publication Issues
loknayak@aneymahila.com

- ADDRESS -
The Editor,
Loknayak Bapuji Aney Mahila Mahavidyalya,
Awadhot Wadi, Datta Chowk, Yavatmal - 445001

Telephone
9011771811, 9422653390, 8275556454, 9766558319

हिन्दी लेख

21	भारतीय ज्ञान और सामाजिक चेतना प्रवाह में महिला लेखिकाओं का योगदान कु. हर्षा भगवान जुगनाके स्नातकोत्तर छात्र एम. ए. द्वितीय वर्ष म. गाँ. अं. हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	120-122
22	भारतीय गजल साहित्य में दुष्यंत कुमार का योगदान प्रा.डॉ. गजानन वानखेडे	123-126
23	भारतीय ज्ञान परंपरा के सटीक प्रतीक गोस्वामी तुलसीदास प्रो. डॉ. महेंद्र सिंह पौहार	127-130
24	भारतीय गुरुकुल शिक्षा पध्दती के विभिन्न आयाम तथा वर्तमान में उसकी उपयोगिता शुभम नरेश उदावंत	131-134
25	"भारतीय ज्ञान परंपरा में संगीत विद्यालयों का योगदान" डॉ. सारिका वि. श्रावणे,	135-139
26	भारतीय ज्ञान परम्परा में महिलाओं की स्थिती डॉ. सविता रुके	140-143
27	संत कबीर तथा गोस्वामी तुलसीदास : शिक्षा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में डॉ. प्रवीण देशमुख	144-149
28	भारतीय ज्ञान परंपरा व ऐतिहासिक संदर्भ श्रीमती कंचन अवस्थी,	150-155
29	भारतीय ज्ञान परंपरा में तुलसीदासजी का योगदान प्रा.डॉ.भरत सुरेश जवजाले	156-158
30	भारतीय ज्ञान परंपरा और स्त्रीशिक्षा डॉ. सीमा बर्गट	159-165
31	भारतीय ज्ञान परंपरा में शिवानी जी के साहित्य की उपादेयता रश्मि भावेश राय	166-171
32	ज्ञान परम्परा को समृद्ध करनेवाले अनुवाद की भाषिक समस्याएँ एवं समाधान प्रो. संतोष विजय येरावार	172-178
33	ओलंपिक :- भारतीय महिला अॅथलीटस् का योगदान तथा समाजमन प्राचार्य.डॉ. विरेंद्र तलरेजा	179-181
34	हिन्दी कथा साहित्य में मानवीय मूल्य: विशेष संदर्भ:भीष्म साहनी सह.प्रा.डॉ. शालिनी वाटाने	182-186

भारतीय ज्ञान परम्परा में महिलाओं की स्थिती

डॉ. सविता रुक्के
मातोश्री शांताबाई गोटे कला,
वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, वाशीम.
मो. ८२७५४११८३९
ई मेल : savitarukke@gmail.com

प्राचीन सभ्यता और परंपरा में महिलाओं की स्थिती सराहानीय थी। समाज में शिक्षा-दिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान इन सब मे पुरुषो कि तरह बराबरी का अधिकार था। हिंदू प्राचीन परंपरा मे स्त्रियो को आदर, सम्मान दिया जाता था। यहा तक कि उन्हे देवी के रूप मे माना जाता था. प्राचीन परंपरा अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ है। समाज को सुचारू रूप से चालाने के लिये परंपरा अत्यंत महत्व पूर्ण है,क्योकि इसीसे समाज और सृष्टी का पोषण होता है। धर्मानुकूल आचरण और सृष्टी का सरंक्षण इन्ही परंपराओ के कारण सहज हो पाया है। प्राचीन भारतीय परंपरा मे प्रकृती के साथ मनुष्य का रिश्ता अत्यंत गहरा रहा है। जो प्रकृती के सरंक्षण, संवर्धन के लिये हि है। परंपरांये मनुष्य जीवन के साथ हमेशा जुडी रही है। जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल मे भी इन परम्पाराओ को देखा जा सकता है। भारत की परंपरा प्रकृती को पवित्रता से जोडी है। जिसमे पहाड, जंगल, नदी-नाल, पेड, पल्लव, ग्राम, नगर, मैदान और टीले को पवित्र माना गय है. परंपरा हमारे लिये अमूल्य निधी है। जो हमे संजोकर रखना है।

भारत की प्राचीनतम सभ्यता, सैन्धव सभ्यता के धर्म में माता देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया जाना उस समाज में उन्नत स्त्री-दशा का सूचक माना जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में समाज ने उसे आदरपूर्ण स्थान दिया। उसके धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार पुरुषों के ही समान थे। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। दम्पति घर के संयुक्त अधिकारी होते थे। यद्यपि कहीं-कहीं कन्या के नाम पर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथापि कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ पिता विदुषी एवं योग्य कन्याओं की प्राप्ति के लिये विशेष धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करते हैं।

कन्या को पुत्र जैसा ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की गयी थीं। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थीं। ऋग्वेद में अनेक ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते है जो विदुषी तथा दार्शनिक थीं और उन्होंने कई मन्त्रों एवं ऋचाओं की रचना भी की थी।

विश्वारा को "ब्रह्मवादिनी" तथा "मन्त्रद्रष्ट्री" कहा गया है जिसने ऋग्वेद के एक स्तोत्र की रचना किया था। घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला, इन्द्राणी, सिकता, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों के कई नाम मिलते हैं जो वैदिक मन्त्रों तथा स्तोत्रों की रचयिता हैं। ऋग्वेद में बृहस्पति तथा उनकी पत्नी जुहु की कथा मिलती है। बृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गये किन्तु देवताओं ने उन्हें बताया कि पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है। इस प्रकार के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्री पुरुष की ही भाँति तपस्या करने की भी अधिकारिणी थी।

महिलाओं की स्थिति में समय-समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि अभी भी सिंधु घाटी से जुड़े साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद नहीं है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पुरातत्व से जो सामग्री मिले हैं उसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि उस दौरान महिलाओं को स्वतंत्रता थी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी जाती थी। पुरातत्व में कई देवी-देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जिससे कि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौरान भी महिला देवी देवताओं की पूजा करते थीं और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति को देखने से पता चलता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। यह वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण स्वरूप हम रामायण काल को देख सकते हैं। भगवान राम ने जितने भी अनुष्ठान किए उसमें सीता जी को अपने साथ रखा। जब सीता जी उपस्थित नहीं थीं तब भी उनकी प्रतिमा का इस्तेमाल किया गया। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, अपना भविष्य बनाने तथा शिक्षिका के रूप में काम करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में कई सारी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि शामिल हैं।

हालांकि यह भी सत्य है कि वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधान था। महत्वपूर्ण पदों पर पुरुष हुआ करते थे। अगर कन्या पिता की इकलौती संतान है तो वह उनके संपत्ति में हिस्सेदार थी। उस दौरान भी स्त्रियों का विवाह वयस्क होने के बाद ही होता था। बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियों में पुनर्विवाह का प्रचलन भी था जो कि उस दौरान उनकी स्थिति को बेहतर बनाता है। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली बहुत ही विकसित थी और मुख्य रूप से वेद पढ़ाया जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रभाव का लगातार वर्णन करते हैं। महाभारत में जहां द्रौपदी का प्रभावी चित्रण है तो वहीं वाल्मीकि की रामायण में सीता के प्रभाव को भी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। सीता स्वयंवर इस बात का भी गवाह है कि प्राचीन काल में महिलाओं को स्वयं से पति चुनने की भी अनुमति प्राप्त था। वैदिक काल की महिला दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों के महत्व को भी हासिल करती थी।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं यह वह काल था जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलने लगी। इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की लिखी गई थी। महिलाओं के सम्मान में कोई कमी तो नहीं आई लेकिन सामाजिक बुराइयां हावी होने लगी। यह वह कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहु पत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, देवदासी, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा शामिल है। उत्तर काल के ही आखिर में सती प्रथा का भी प्रचलन समाज में आ गया था। बड़े घरानों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी जोकि धीरे-धीरे छोटे घरानों के लिए आदर्श के रूप में काम करने लगा और यह प्रचलन समाज में बढ़ने लगा। इसी कालखंड के दौरान पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में कटौती होने लगी। इसी काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसे महिला बुद्धिजीवियों का भी नाम उल्लेख में सामने आता है। उत्तर काल में ही महिलाओं की धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था।

मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर देखें तो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल के अपेक्षाकृत थोड़ी संतोषजनक रही। इस काल में महिलाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके साथ ही उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति दी गई थी। हालांकि मौर्य काल में ही दहेज

प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ था। इस काल में स्त्रियाँ घरों में रहा करती थीं। धनिक वर्गों में स्त्रियों को मनोरंजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ स्त्रियाँ समाज के कल्याण का भी कार्य करती थीं। मौर्य काल में स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी साथ ही साथ उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था।

मौर्य काल के बाद भारत में कई आक्रमण आए। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर काफी असर पड़ा। उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक स्थिति काफी खराब होने लगी। महिलाओं को पुरुष के दासी के रूप में रखा जाता था। पुरुष के आदेश के बाद ही उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता थी। मुगल काल आते-आते महिलाओं की दशा और खराब हो गई। उन्हें घर और बंधनों में बांधकर कैद कर रखा गया।

मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक बनती जा रही थी। किन्तु मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही स्त्री शिक्षा का पूर्णतया ह्रास हो गया। आठ वर्ष की आयु, तो विवाह के लिए उपयुक्त थी, न पूरे किसी भी प्रकार की शिक्षा सम्भव नहीं रह गयी। मुसलमान में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हुआ जिससे महिलाओं का सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया तथा उनका कार्य-क्षेत्र घर के भीतर ही सीमित रह गया। स्त्रियों की अज्ञानता के कारण स्मृतिकारों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पति ही पत्नी का एकमात्र स्वामी है, तथा उसका धर्म केवल उसकी आज्ञा मानना एवं पूजा करना है। कुलीन परिवारों में बहुविवाह का प्रचलन सामान्य हो गया।

बाल विधवाओं की संख्या भी समाज में बढ़ गयी क्योंकि एक प्रकार ऊँची के वर्ग स्थिति की उच्च कुल की विधवा अपना पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। आठवीं शताब्दी तक समाज में विधवाओं के मुण्डन की प्रथा का भी प्रचलन हो गया। स्त्रियों को शूद्रों की कोटि में रखना होने के कारण उन्हें वैदिक साहित्य एवं दर्शन के अध्ययन से वंचित कर दिया गया। देश के कुछ भागों में 'देवदासी' प्रथा प्रचलित थी जिसके अन्तर्गत कुमारी कन्यायें नृत्य, गान के लिए मन्दिरों को समर्पित की जाती थी। प्रारम्भ में इसका स्वरूप विशुद्ध रूप से धार्मिक था किन्तु बाद में यह महिलाओं के यौन शोषण का माध्यम बन गया।

प्राचीन भारतीय परंपराओं में स्त्रियों का सम्मान होता था। यद्यपि कुछ ग्रन्थ तथा लेखक उनके चरित्र में दोष देखते हुए उनकी कटु आलोचना करते हैं तथापि अधिकांश ग्रन्थकारों में स्त्री के महत्वपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा मिलती है। वैदिक काल में उन पुरुषों के साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा मिली। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है (अर्धो हवा एष आत्मनो)। महाकाव्यों में स्त्री के उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा मिलती है।

महाभारत के अनुसार "गृहणी ही वस्तुतः गृह कही जाती है। गृहणी के बिना गृह, जंगल के समान है। स्त्रियों की सदा पूजा करनी चाहिये। जहाँ स्त्रियों का सम्मान है वहाँ सभी देवता प्रसन्न रहते हैं, तथा जहाँ उनका अपमान है वहाँ सभी क्रियायें निरर्थक (अफल) हो जाती हैं।"

माता के रूप में स्त्री को पृथ्वी से भी गुरुतर बताया गया है (मातागुरुतरा भूमेः)। वशिष्ठ के अनुसार आचार्य का गौरव दस उपाध्यायों से बढ़कर होता है, पिता का गौरव सौ आचार्यों से बढ़कर होता है किन्तु माता का गौरव एक हजार पिताओं से भी बढ़कर होता है। महाभारतकार ने यह भी लिखा है कि स्त्रियाँ समृद्धि की देवी हैं। समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। महाभारत में स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है। स्मृतिग्रन्थों में भी नारी के प्रति प्रशंसा युक्त विचार व्यक्त किये गये हैं।

मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि- "जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं तथा जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ के सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं।" आगे बताया गया है कि जिस कुल में नारियों का अपमान होता है वह कुल विनष्ट हो जाता है।

अत: परिवार का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सदा स्त्रीजनों का सम्मान करें। ज्योतिषाचार्य वाराहमिहिर के अनुसार- स्त्रियाँ परिवार में लक्ष्मी होती हैं। अत: उनका सम्मान किया जाना चाहिए (गृहे लक्ष्म्यो मान्या: सततं अबला मान विभवै:)। जो लोग उनके चरित्र में दोष देखते हैं वे स्वयं अधम हैं तथा उनके विचार सद्भाव से प्रेरित नहीं होते।

वस्तुतः स्त्रियाँ सभी प्रकार से पवित्र होती हैं। जिन कुलों में उनका सम्मान नहीं होता वे कुल विनष्ट हो जाते हैं। महाकवि कालिदास ने भी गृहिणी, सम्मति देने वाली सहचरी तथा एकान्त की सखा के रूप में स्त्री की महत्ता को स्वीकार किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिन्दू समाज में स्त्रियों के प्रति सामान्यतः उदार एवं आदरपूर्ण विचार अपनाये गये। माता के रूप में वस्तुतः उनकी महिमा अति महान् थी। मनु ने स्पष्ट लिखा है कि माता का पद पिता से भी बढ़कर होता है।

महाभारत में पत्नी को त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ तथा काम का मूल कहा गया है (भार्या मूलं त्रिवर्गस्य)। हिन्दू समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा इसी तथ्य से सुविदित है कि उसके देवसमूह में देवियों की उपासना सर्वप्रचलित है तथा अनेक प्रसिद्ध देवताओं के नाम के पूर्व देवियों के नाम संयुक्त मिलते हैं, जैसे- लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि।

भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को संविधान में पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए गए हैं। परंतु आज भी वह समाज में काफी पीछे दिखाई देती हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विज्ञान सहित कई अहम क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनीक काल तक महिलाओ कि स्थिती निरंतर बदलती रही है। आधुनिककालीन महिलाओ को अपनी उन्नती और विकास के विभिन्न क्षेत्रो मे अवसर उपलब्ध है। जीससे वे अपना विकास कर सके। आज ऐसा कोई क्षेत्र बचा नही है जहापर महिलाओ ने अपना वजूद निर्माण नही किया है। भारत सरकार ने महिलाओं के उज्वल भविष्य के लिये बहुत सारी योजनाओ का निर्माण किया है. जिससे उनका विकास होता रहे। सुरक्षित वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है। जीससे कामकाजी महिलाओ को सुरक्षा मिले और वे निडर होकर आगे बढे।

संदर्भ सूची –

१. **भारतीय संस्कृती, सभ्यता एवं परंपरा – डॉ. रमेश पोखरियात 'निशंक'**

२. **परंपरा और परिवर्तन – श्यामचरण दुबे**

३. **भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण – योगेंद्र सिंह**

४. **भारतीय ज्ञानपरंपरा और विचारक – रजनीश कुमार शुक्ल**